संख्या-54/2019/1003/26-3-2019

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 05 मार्च 2019

विषयः-अतिपिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वागीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-कुशीनगर के विकास कार्यो हेतु स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-39/2019/3539/26-3-2018, दिनांक-05.02.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अतिपिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वागीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-कुशीनगर के विकास खण्ड-सुकरौली के ग्राम-सुबुद्धिया में इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु आंकलित धनराशि रूपया-46.11 लाख (रू0 छियालीस लाख ग्यारह हजार मात्र) के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0-46.11 लाख (रू0 छियालीस लाख ग्यारह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड-कुशीनगर को नामित किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड-कुशीनगर के स्थान पर कार्यदायी संस्था यू0पी0स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 को नामित किया जाता है।

अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-54/2019/1003(1)/26-3-2019-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।

2.जिलाधिकारी/ जिला समाज कल्याण अधिकारी, कुशीनगर।

3.निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।

4.मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

5.अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड-कुशीनगर।

6.प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0।

7.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

8.समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)

9.गार्डफाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।